


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2015/माघ 3, 1936

No. 50]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2015/MAGHA 3, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 52(अ)—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 629(अ), तारीख 1 सितंबर, 2014 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पच्चीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 1 सितंबर, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से अब तक कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 96 के उप-नियम (9) के खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iv). खंड (ii) और खंड (iii) में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व विनिर्मित यानों के निम्नलिखित प्रवर्गों में भा.मा. : 11852 : 2003 (भाग 9) के अनुरूप प्रति एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली लगानी होगी --

- (क) परिसंकटमय मालों और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वहन करने के लिए बनाए गए 1 अक्तूबर, 2006 को या उसके पश्चात् विनिर्मित ट्रैक्टर - ट्रैलर संयोजन से भिन्न यानों के एन 3 प्रवर्ग ;
- (ख) 1 अक्तूबर, 2007 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के एन3 प्रवर्ग, जो दो मंजलीय परिवहन यान हैं ;
- (ग) 1 अक्तूबर, 2007 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के एन3 प्रवर्ग, जो ट्रैक्टर - ट्रैलर संयोजन के रूप में उपयोग होते हैं ;
- (घ) 1 अक्तूबर, 2007 को या उसके पश्चात् विनिर्मित बसों के एम3 प्रवर्ग, जो अखिल भारतीय परिवहन परमिट पर चलते हैं ;

[फा. सं. आरटी-11028/20/2006-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 27(अ), तारीख 13.01.2015 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2015

G.S.R. 52(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 629(E), dated the 1st September, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of twenty five days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 1st September, 2014;

And whereas, so far no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (2nd Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of publication of this notification in Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 96, in sub-rule (9), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(iv) the following categories of vehicles manufactured prior to the dates specified in clauses (ii) and (iii) shall be fitted with Anti-lock Braking System conforming to IS: 11852:2003 (Part 9)—

- (a) N3 categories of vehicles other than tractor-trailer combination manufactured on and after the 1st day of October, 2006 meant for carrying hazardous goods and liquid petroleum gas;
- (b) N3 categories of vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2007, that are double decked transport vehicles;
- (c) N3 categories of vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2007, that are used as tractor-trailer combinations;
- (d) M3 categories of buses that ply on All India Tourist Permit, manufactured on and after the 1st day of October, 2007.”.

[F. No. RT-11028/20/2006-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. 27(E), dated the 13.01.2015.